



## सेबी के नए मानदंड

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय प्रतिभूतिएवं वनिमिय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India- SEBI) ने ओपन एंडेड इक्विटी योजनाओं के लिये कुल व्यय अनुपात (Total Expense Ratio- TER) को कम करते हुए विदेशी पोर्टफोलियो नविशकों (Foreign Portfolio Investors- FPIs) के लिये KYC (know your Client) की आवश्यकताओं पर एच.आर. खान समतिकी सफारियों को व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया है।

### प्रमुख बातें

- सेबी ने अपरैल में जारी प्रपित्र में संशोधन करने के लिये सहमतविधिकृत की है और नया प्रपित्र जारी करने का फैसला किया है जो खान समतिकी सफारियों के अनुरूप है।
- कुल व्यय अनुपात को कम करने के फैसले से नविशकों के लिये मुश्चुअल फंड में नविश करना पहले की तुलना में कम महँगा होगा।
- एक और बड़े फैसले में, नियमक ने ओपन एंडेड इक्विटी स्कीमों के लिये अधिकितम व्यय अनुपात 1.05% नाशिचति कर दिया है जिसमें प्रबंधन के तहत संपत्ति (Assets Under Management- AUM) का मूल्य 50,000 करोड़ रुपये से अधिक है।
- वर्तमान में, 300 करोड़ रुपये से अधिक AUM वाली योजनाओं के लिये कुल व्यय अनुपात 1.75% है।
- इसके अलावा, योजना के AUM के आधार पर सेबी ने व्यय अनुपात के रूप में 1.05% से 2.25% की राशनिरिधारति की है। इससे पहले यह सीमा 1.75% से 2.5% थी।

### अतिरिक्त व्यय अनुपात में कमी

- हालाँकि नियमक ने शीर्ष 30 शहरों से खुदरा प्रवाह के लिये 30 आधार अंकों के अतिरिक्त व्यय अनुपात को अनुमतिदी है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नियमों और संस्थानों द्वारा किये जाने वाले प्रवाह के लिये अतिरिक्त खर्च की अनुमतिनहीं दी जाएगी।
- नियमक के अनुसार व्यय अनुपात कम होने से नविशकों को कमीशन में 1300 करोड़ रुपए से 1500 करोड़ रुपए की बचत होगी।

### सेबी (नपिटान कार्यवाही) वनियिमन 2018

- नियमक ने सेबी (नपिटान कार्यवाही) वनियिमन 2018 तैयार किया है, जो उन अपराधों पर प्रतिबंध लगाता है जिनका प्रभाव बाजारव्यापी हो, नविशकों को नुकसान पहुँचाता हो या बाजार की अखंडता को प्रभावित करता हो तथा सहमतिमार्ग के माध्यम से समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता है।
- सेबी का मानना है कि हालाँकि अंदरूनी व्यापार या फ्रैट रनगि जैसे गंभीर अपराधों को सहमति के माध्यम से सुलझाया जा सकता है फिर भी नियमक इस तरह के मामलों पर नियंत्रण लेने के दौरान संविधान-आधारति दृष्टिकोण का उपयोग करेगा।
- इस बीच, नियमक कसी भी कार्यवाही को नहीं रोकेगा जिसमें आवेदक एक वलिफुल डफिलटर है या यद्युपर्याप्त अपराध के लिये पहले आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया हो।

इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिये क्लिक करें :

सेबी के नए मानदंड और विदेशी पोर्टफोलियो नविश

<http://www.drishtiiias.com/hindi/current-affairs/why-sebi-new-norms-spooked-fpis>